आंदोलन के नाम पर चल रहा राजनीतिक षड्यंत्र

आशीष कुमार 'अंशु'

सीएए के खिलाफ चल रहे उपद्रवियों के दंगा-फसाद के बीच पिछले दिनों एनडीटीवी को लेकर एक कार्टून काफी चर्चित हुआ. इस कार्टून में उपद्रवी एनडीटीवी की ओवी वैन जला रहे हैं और चैनल का कैमरामैन उन्हें समझा रहा है- "सर हम तो एनडीटीवी वाले हैं.''

यह कार्टून इसलिए भी चर्चित हुआ क्योंकि एनडीटीवी लगातार उपद्रवियों के पक्ष में अभियान चला रहा था. जब यह कार्टून सामने आया तो लोगों ने उसे सही परिप्रेक्ष्य में समझा. एनडीटीवी का दंगों को बढावा देने का रिकॉर्ड वैसे भी पुराना है. गुजरात 2002 के समय भी इस चैनल की एक स्टार रिपोर्टर दंगाइयों को ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हुए बताती रही कि यह सूरत का सोना-चांदी मार्केट है. यहां पुलिस की कोई खास व्यवस्था नहीं है. मानो वह उपद्रवियों को बाजार लूटने के लिए आमंत्रित कर रहीं हो.

सीएए के खिलाफ आंदोलन में इस बार एनडीटीवी के एक एंकर का मोबाइल नंबर उपद्रवियों के बीच बांटा गया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए संदेश में बताया गया कि किसी भी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में इस एंकर को फोन किया जा सकता है. इस चैनल ने कट्टर इस्लाम और आतंक को समर्थन देने वाली केरल की दो मुस्लिम लड़कियों को नायिका बनाकर भारतीय समाज के सामने पेश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. ऐसी लड़कियों को रोल मॉडल बनाकर पेश करने के पीछे चैनल का मकसद क्या हिंसा भड़काना था? इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा!

दोष सिर्फ एक चैनल को क्यों देना? जबकि कई सारे पत्रकार, अखबार, वेब साइट, चैनल इस काम में लगे थे. वास्तव में नागरिकता संशोधन से जुड़े जिस विधेयक को लेकर देशभर के मुसलमानो को उकसाया गया, जब यह आलेख मैं लिख रहा हूं उस वक्त तक वह विधेयक, कानून बन चुका है. नागरिकता के जिस प्रश्नों को नागरिकता कानून सुलझाता है, उससे भारतीय मुसलमानो का कोई ताल्लुक नहीं. फिर हमें समझना होगा कि देशभर के मुसलमानो का यह विरोध सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है?

वर्तमान में सीएए पर चल रहे प्रदर्शन को समझने में शाह बानो प्रकरण पर महाराष्ट्र के प्रबोधन मंच पर आरिफ मोहम्मद खान के वक्तव्य से सहारा मिला. प्रबोधन मंच पर बात करते हुए श्री खान कहते हैं- उस समय की सरकार के पास 400 से अधिक सांसद थे. इतना बड़ा बहुमत भारतीय संसदीय इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं था. उस वक्त भारतीय मुसलमानो के नेताओं द्वारा हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था. भाषा इतनी हिंसक थी कि पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थक एक सांसद का भाषण संसद में इतना आपत्तिजनक हो गया था कि उनके भाषण से चार जगह शब्दों को हटाना पड़ा. यह भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत सरकार के किसी मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया हो. उन चार वाक्यों को स्पीकर साहब को कार्रवाई से हटाना पड़ा.

शाहबानो प्रकरण आज तीन दशक के बाद इसलिए उल्लेखनीय हो गया है क्योंकि लंबे समय के बाद देश में फिर एक बार बहुमत की सरकार है. लंबे समय के बाद देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है, जिसपर एक मत से पूरे देश ने विश्वास किया है और एक स्थायी मजबूत सरकार के खिलाफ एक बार फिर देशभर में मुसलमान सड़क पर हैं.

सीएए के विरोध प्रदर्शन में शामिल मुसलमानो को तथ्यों से कुछ लेना-देना नहीं है. जैसे शाहबानो प्रकरण में भी मुसलमानो को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या था? उन्हें किसी तरह यह बात समझा दी गई है कि यह कानून मुसलमानो के खिलाफ है. यही बात शाहबानो प्रकरण में भी समझाई गई थी. किसी मुसलमान को मस्जिद और मदरसों में हुई तकरीर के बाद ना एनआरसी पर कोर्ट के फैसले से कोई मतलब रह गया था और ना ही किसी को इस बात से कुछ लेना देना था कि सीएए का कानून इस पर क्या कहता है?

किसी भी देश को अपने कानून, संविधान द्वारा निर्धारित मान्यताओं के आधार पर ही चलना चाहिए. ऐसे में देश के मुसलमान समुदाय का समय-समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना और किसी असंवैधानिक जिद पर अड़ जाना और सरकार को अपने हक में फैसला लेने के लिए विवश करना न्यायोचित तो नहीं कहा जा सकता.

एक ऐसे नैरेटिव के दम पर जो झूठ की बुनियाद पर गढ़ी गई है, लाखों मुसलमानो को सड़क पर ले आने के फरेब की वजह को समझने के लिए हमे सच्चर समिति की रिपोर्ट को पढ़ना होगा. नवम्बर 2006 में आई सच्चर समिति की रिपोर्ट के बाद भी मुसलमानो के बीच अशिक्षा कैसे खत्म हो इस पर कांग्रेस सरकार ने कभी काम नहीं किया, क्योंकि अशिक्षित मुसलमान उलेमा, मुफ्तियों के साथ-साथ कांग्रेस, सपा, राजद जैसे राजनीतिक दलों के लिए भी उपयोगी थे. यदि सीएए के पक्ष में खड़ी भीड़ का चेहरा पहचानना चाहते हैं तो संसद में 80 के दशक में शाहबानो बेगम को लेकर हुई जिरह आपको अवश्य पढ़नी चाहिए. उसके बाद आप सच्चर समिति की पूरी रिपोर्ट पढ़ें. सारी तस्वीर साफ हो जाएगी.

बहकावे में लाकर सड़कों पर खड़ी कर दी गई लाखों मुस्लिम औरत-मर्द-बच्चों की भीड़ देखकर कोई द्रवित हो जाएगा. जामिया में प्रदर्शन में शामिल एक महिला की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल की जा रही है. ऐसी तस्वीरों को चाहे सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए वामपंथी इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन छोटी बच्ची को जब सुरक्षा की जरूरत थी, उसे खुले आसमान के नीचे फोटो शूट के लिए लेकर आना मुर्खता ही कही जाएगी. यदि उस बच्ची को आंदोलन के दौरान ईश्वर ना करे कि कुछ हो जाए फिर क्या उसका दुख कोई वामपंथी एक्टिविस्ट आकर बांटेगा? वह एक परिवार का निजी दुख बनकर ही रह जाएगा.

इन मुर्खताओं पर विचार करते हुए इस पंक्ति पर नजर गई- ''मदरसे आजादी के लिए खतरा हैं.'' यह मैं नहीं लिख रहा. इसे लिखा है- इस्लामिक स्कॉलर तुफैल अहमद ने.

एक बार पहले भी मैंने मदरसे के संबंध में इस तरह की बात देवबंद के हवाले से लिखी थी. मैंने लिखा था- देवबंद में जिहाद की गलत व्याख्या की जा रही है. उस वक्त फर्राह साकेब जैसे कट्टर मुसलमान युवक मदरसों के पक्ष में अजीब-अजीब तरह के तर्क ले आए थे. अब तो अच्छा है कि एक के बाद एक मुस्लिम समुदाय के लोग ही सामने से आकर मदरसे की हकीकत से पर्दा हटा रहे हैं, लेकिन मदरसों के हक में बात करने वाले कहते हैं कि मदरसों में तो सिर्फ 04 फीसदी मुसलमान पढ़ रहा है बाकि मुसलमान बच्चे स्कूलों में जा ही रहे हैं.

इस प्रश्न का जवाब केरल के राज्यपाल और इस्लाम के जानकार आरिफ मोहम्मद खान के एक साक्षात्कार में मिलता है. जिसमें वे कहते हैं कि मदरसे में चाहे चार फीसदी बच्चे पढ़ते हों लेकिन ये चार फीसदी बच्चे ही पूरे देश में घूम-घूम कर मुसलमानो को इस्लाम समझाते हैं.

अब सवाल यह है कि यदि इनकी बुनियादी तालीम ही गलत होगी फिर वो तो पूरे देश में जाकर इस्लाम के नाम पर चरस के अलावा क्या बोएंगे?

मदरसा शिक्षा के संबंध में तुफैल अहमद लिखते हैं - ''वह एक आजादी-विरोधी आंदोलन हैं, 21वीं सदी के स्वतंत्रता के विचारों के अनुरूप नहीं हैं. सेक्युलर हिंदू नेता (पॉलिटिकली करेक्ट) और इस्लामिक स्कॉलर धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर मदरसों का बचाव करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में धार्मिक अधिकार सभी मौलिक अधिकारों में सबसे निम्नतर और कमजोर अधिकार है. धार्मिक अधिकार के अनुच्छेद 25 में दो उपखंड हैं जो इस अधिकार को निम्नतर बनाते हैं:

'25 (1)- लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के विषय में और इस भाग के अन्य उपबंधों के लिए (मौलिक अधिकारों से युक्त संविधान).

'25 (2)- इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी भी कानून के काम करने या राज्य को कोई भी कानून बनाने में प्रभावित नहीं करेगी.'

'मैं यह नहीं कह रहा हूं कि धार्मिक अधिकारों का अस्तित्व ही नहीं है. मेरा तर्क यह है कि धार्मिक अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों से दबे हुए हैं. मैं समझाता हूं मेरे पास खाने का मौलिक अधिकार है, और मेरे पास सांस लेने का मौलिक अधिकार है, लेकिन मेरे सांस लेने का मौलिक अधिकार मेरे खाने और पीने के मौलिक अधिकारों पर भारी है. इसलिए धार्मिक अधिकार 18 वर्ष से पहले मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है, अगर आप 18 वर्ष से पहले वोट नहीं दे सकते हैं, आपको 18 से पहले धर्म का मौलिक अधिकार नहीं मिल सकता है.''

खिलाफत 2.0

जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ देशभर के पत्रकारों की नजर 15 दिसम्बर को दिल्ली पुलिस की कार्यवाही के बाद गई. विश्वविद्यालय के छात्र नागरिक संशोधन कानून का विरोध कर रहे थे. इस विरोध में 15 दिसम्बर को जब जामिया के छात्रों की तरफ से नारा लगा- मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या, या इलाहे लिल्लाह. इसी प्रदर्शन के दौरान जब जामिया के छात्रों ने दीवार पर लिखा- खिलाफत 2.0 तो यह सारी बातें उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली थी जो मेरे तुम्हारे रिश्ते के बाद कहे गए या इलाहे लिल्लाह पर यकीन करते थे या फिर उन लोगों को खींच कर जामिया तक ले आई जो खिलाफत को समझते थे. जब इस मानसिकता के लोग आंदोलन में शामिल हो गए तो फिर इसे यूं भी छात्रों का आंदोलन नही रह जाना था. यह पूरी तरह से जामिया के छात्रों के हाथ से फिसल कर खिलाफत में यकीन करने वालों के हाथ में चला गया था.

जब जामिया में अफवाह का एक बड़ा तंत्र सक्रिय हो गया और वहां झूठी खबरों की बाढ़ सी आ गई. उसके बाद ऐसा लगा कि इसे नियंत्रित करना आसान नहीं होगा. उस वक्त तक यह भी साफ हो चुका था कि इस पूरे आंदोलन की पटकथा कोई और लिख रहा है. जिस पटकथा में जामिया के छात्र अपना-अपना किरदार निभा रहे हैं.

इस बात की तरफ किसी पत्रकार का ध्यान नहीं गया. 15 दिसम्बर को हुए प्रदर्शन का एक छोटा पूर्वाभ्यास जामिया के गेट नम्बर सात पर 13 दिसम्बर को किया गया था. जो खबर नहीं बनी. यह प्रदर्शन था जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन का. एसोसिएशन के महासचिव नसीम अहमद के हस्ताक्षर से जारी एक पत्र हमें प्राप्त हुआ है. इस पत्र में लिखा गया है, जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन, एसआरके एसोसिएशन, जामिया स्कूल टीचर्स एसोसिएशन और जामिया टीचर्स एसोसिएशन नागरिक संशोधन कानून के विरोध में हैं. 13 दिसम्बर 2019 को दोपहर 02 बजे गेट नम्बर 07 पर जामिया के कर्मचारियों और जामिया बिरादरी में जो लोग खुद को शामिल मानते हैं उनसे निवेदन किया गया कि विरोध प्रदर्शन में शामिल हों.

14 दिसम्बर को दिल्ली में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली थी और 15 को जामिया का प्रदर्शन उग्र हो उठा. 15 के बाद से जहां नागरिकता संशोधन कानून पर देशभर में नए सिरे से चर्चा होनी चाहिए थी, वहीं चर्चा के केन्द्र में जामिया के छात्र आ गए. देशभर में विमर्श का विषय नागरिकता के सवाल की जगह जेएनयू की राह पर चल पड़े जामिया के छात्र हो गया.

दिल्ली में दो महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं. मुसलमानो के वोट को आमतौर पर चुनावों में फसल की तरह देखा जाता है क्योंकि माना जाता है कि मुसलमानो का मत जहां भी जाएगा, एक मत से जाएगा. यह उनकी एकता और उनकी गतिविधियों के केन्द्र में नमाज और मस्जिद के अनिवार्य तत्व होने का परिणाम है. यदि मस्जिद और नमाज उनकी जिन्दगी में इतने महत्वपूर्ण तत्व नहीं होते तो कॉमरेड गीतकार जावेद अख्तर, कॉमरेड पत्रकार राणा अयूब से लेकर कॉमरेड छात्र नेता उमर खालीद तक को समय-समय पर यह बताने में हिन्दू कम्युनिस्टों की तरह थोड़ा संकोच होता कि वे मुसलमान हैं.

दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यह मान कर चल रहे हैं कि दिल्ली का मुसलमान बीजेपी की तरफ जाएगा नहीं. अब उसके सबसे बड़े हमदर्द बनकर ही उन्हें अपने पाले में शामिल किया जा सकता है. हमदर्द दिखने के लिए दर्द होना भी जरूरी है. इसलिए नागरिकता संशोधन कानून जैसी चिंगारी बैठे-बिठाए दोनों पार्टियों को मिल गई है. अब दोनों पार्टियां मिलकर इसे हवा देने का काम कर रहीं हैं.

झारखंड के बारहेट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस तरफ इशारा करते हुए कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा भी - "कांग्रेस और उसके साथी, नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर मुसलमानो को भड़काने का, डराने का भयभीत करने का प्रयास करके अपनी राजनितिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं. मैं कांग्रेस सहित उन तमाम दलों को खुली चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है, तो वो खुलकर घोषणा करें. कांग्रेस और उसके सारे साथी खुलकर घोषणा करे कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने को तैयार हैं.''

यह तो तय है कि इस तरह का बयान ना आम आदमी पार्टी देगी और ना यह चुनौती कांग्रेस स्वीकार करेगी. यह दोनों पार्टियां अपूर्वानंद जैसे प्राध्यापक, कॉलिन गोजाल्विस, अखिल गांधी जैसे वकील,फराह नकवी जैसी लेखिका, अमानतुल्लाह खान जैसे विधायक, मानवी और रवीश जैसे पत्रकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो अपनी निष्पक्षता जाहिर करने के लिए कभी कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोलते. बल्कि इन सभी में यह बात सामान्य है कि सब बीजेपी के विरोध में अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार रहते हैं. इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनके काम करने की शैली कितनी रणनीतिक है और यह अपने कार्यशैली को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं.

सीएए को लेकर जामिया में 15 दिसम्बर को प्रदर्शन चल रहा था. किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया. शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर यूं भी इस देश में लोगों की नजर कम ही जाती है. इसलिए रक्षा का हमारा बजट बढ़ता जा रहा है. अभी सौहार्द के बजट के संबंध में हमने विचार भी नहीं किया है जबकि सरकारों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के साथ संवाद कैसे स्थापित हो, इसको लेकर गम्भीरता से विचार करना चाहिए. एबीवीपी के दिल्ली प्रदेश सचिव सिद्धार्थ यादव का यह सुझाव काबिले गौर है कि छात्र संगठनों को ऐसे मुद्दों पर अलग-अलग विश्वविद्यालय परिसरों में परिचर्चा आयोजित करनी चाहिए. श्री यादव ने जामिया के छात्रों को जामिया परिसर में सीएए पर बहस के लिए अपनी सहमति भी दी. छात्रों को भी लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से ही अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए.

जामिया में ऐसा हो भी रहा था लेकिन शाम छह बजे जैसे ही गेट नंबर सात पर शाकिर अली के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से मौत की अफवाह उड़ी, उसके बाद सारा आंदोलन हिंसक हो गया. कथित तौर पर कोटा के इस छात्र की तलाश भी किसी छात्र ने नहीं की. किस अस्पताल में है और कहां गोली लगी, यह तक जानने का किसी ने प्रयास नहीं किया. वास्तव में यही वह जाल था जिसमें जामिया के छात्र फंसे और फिर फंसते चले. अगले लगभग चौबीस घंटे जामिया में व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से आ रही झूठी खबरों का ही राज रहा. एक समय तो जामिया में मरने वाले लड़को की संख्या छह तक चली गई. जिसे बाद में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति प्रो. नजमा अख्तर प्रेस कांफ्रेन्स करके स्पष्ट करना पड़ा कि एक भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है.

उसके बाद फिर अफवाह तंत्र सक्रिय हुआ कि पुलिस ने गोली मारी है. एक छात्र को लगी है. वह खतरे से बाहर है. गोली चली थी और एक छात्र को लगी थी यह बात सच साबित हुई लेकिन वह गोली पुलिस की थी, यह बात झूठी साबित हो गई.

कुछ लोग यह माहौल बनाने में लगे हैं कि पूरे देश में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि जिन विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जहां इस प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं थी और अचानक छात्र विरोध का झंडा लेकर निकल आए हों. ये तो 2014 से ही बहाने ढूंढ़-ढूंढ़ कर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इस प्रदर्शन में चाहे सामने से छात्र नजर आएं लेकिन पीछे पूरी ताकत से इनके शिक्षकों की वैचारिक राजनीति खड़ी होती है. जो जाधवपुर, जामिया और जेएनयू से मामले में साफ-साफ नजर आई. बहरहाल जिस देश में 900 विश्वविद्यालय हों, 40,000 कालेज, 11000 स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थान, उस देश में यदि 22 संस्थानों में यदि कोई प्रदर्शन चल रहा हो तो उसे देशव्यापी नहीं कहा जा सकता.

जामिया में भड़की हिंसा से एक दिन पहले विश्वविद्यालय के ही छात्र इस आंदोलन के इस्लामीकरण में लग गए थे. कॉलेज की छात्रा लदीदा फरजाना जो अपने एक साथी को पुलिस के सामने आकर बचाती हुई एक वीडियो में नजर आती है. वह वीडियो बहुत वायरल हुआ. बाद में उनके

ताल्लुकात बरखा दत्त से निकले. बरखा पहले से सीएए के विरोध में शामिल थी. इसलिए बरखा पर संदेह जताते हुए कई पोस्ट लिखे गए कि इस पूरे मामले की पटकथा लिखने वाली टीम में बरखा दत्त शामिल तो नहीं थी.

"कल हुए विरोध के दौरान यह हुआ. कुछ लिबरल ने हमें इंशा अल्लाह और अल्ला-हु-अकबर कहने से रोका. हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं. हम पहले ही आपके सेक्युलर स्लोगन को छोड़ चुके हैं.''

अब बताते चले कि लदीदा के ताल्लुकात 1992 में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने की वजह से प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन जमात ए इस्लामी से उसके ताल्लुकात रहे. लदीदा के पति शियस पेरुमथुरा इसी संगठन की एक इकाई एसआईओ - स्टूडेन्ट इस्लामिक आर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं. जमात ए इस्लामी की स्थापना 1941 में हुई थी. यह इस्लामिक राष्ट्र में यकीन रखने वाली पार्टी है. ये देश में शरिया कानून की वकालत करते हैं.

वैसे इस्लामिक राष्ट्रवाद और सेक्युलर स्लोगन छोड़ चुके हैं जैसी बातें देश के सेकुलर पत्रकारों के पल्ले नहीं पड़ी इसलिए वह बार-बार लिखते रहे कि जामिया में जो चल रहा है, वह छात्रों का संघर्ष है. एक सेकुलर पत्रकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में लगे "हिन्दुओं की कब्र खुदेगी, एएमयू की धरती पर.'' को सही ठहराते हुए कहा कि वहां हिन्दू नहीं हिंदुत्व की कब्र खोदने की बात कही गई थी क्योंकि उनकी वामपंथी व्याख्या में हिंदुत्व का अर्थ संघ का हिंदुत्व है. यह बेहद कमजोर तर्क था. ऐसे में मार भगाओ मुल्ला-काजी जैसे नारों को भी सही ठहराया जा सकता है क्योंकि मुल्ला-काजी का अर्थ आम भारतीय समाज कट्टर मुल्ला से लगाता है. क्या अब मिस्टर सेकुलर पत्रकार छात्रों को मार-भगाओ मुल्ला काजी कहने की इजाजत देंगे?

जामिया में हुई छात्रों द्वारा हिंसा के बाद फरहान अख्तर ने भी अब अपनी सेकुलर छवि को किनारे रखकर सोशल मीडिया पर मुसलमानो से अपील की है कि विरोध करने का समय खत्म हुआ. इसके बाद उन्होंने सड़क पर उतरने की तारीख की घोषणा कर दी है. 19 दिसम्बर को क्रांति मैदान मुम्बई में फरहान अख्तर अपने ट्वीट के साथ नागरिक संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन से जुड़ी एक तस्वीर भी ट्वीट की है. फरहान अख्तर की तरह जावेद जाफरी ने भी 19 तारीख को क्रांति मैदान आने का अनुरोध किया.

फरहान अख्तर के अपील वाले ट्वीट पर आईपीएस अधिकारी संदीप मित्तल ने लिखा- "आपको यह भी जानने की आवश्यकता है कि आपने एक अपराध किया है. साथ में श्री मित्तल ने अख्तर से अनुरोध किया - "कृपया उस देश के लिए सोचिए जिसने आपको जीवन में सबकुछ दिया.''

चलते-चलते देश के सेकुलर पत्रकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र से आई यह जानकारी साझा कर रहा हूं. संयुक्त राष्ट्र साफ शब्दों में कह रहा है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं की, क्रिश्चियनों की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. पाकिस्तान में सिर्फ अहमदियों को छोड़कर बाकि सभी मुसलमानो का मजहब सुरक्षित है. संयुक्त राष्ट्र ही कह रहा है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन और हिन्दुओं की महिलाओं और बच्चियों को अगवा किया जा रहा है. उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है. तेरा-मेरा रिश्ता क्या कहने वाले क्या लानत भेजेंगे ऐसे मुल्क पर जहां अल्पसंख्यकों के पास धार्मिक आजादी तक नहीं है. एक अल्पसंख्यक के नाते उन्होंने दूसरे मुल्क के अल्पसंख्यकों का दर्द समझा होता तो सीएए का विरोध ना कर रहे होते. पाकिस्तान की इमरान सरकार ही कट्टरपंथियों के लव जिहाद को हवा दे रही है. एक बार लव जिहाद के अन्तर्गत निकाह होने के बाद रिपोर्ट कहती है- लड़कियों के परिवार के पास लौटने की उम्मीद बहुत कम ही रह जाती है. यूएन की कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन (सीएसडब्ल्यू) की रिपोर्ट कहती है, पाकिस्तान सरकार हिन्दुओं पर हमले के लिए कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दे रही है. कमीशन ने 47 पन्नों की रिपोर्ट को 'पाकिस्तान: धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला' नाम दिया है.

उम्मीद है कि पड़ोसी देश में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों के इस हाल को पढ़कर विरोध प्रदर्शन में शामिल कुछ मुस्लिम युवाओं, छात्रों और कट्टर मुल्लों का हृदय परिवर्तन होगा.

जामिया के हिंसक आंदोलन पर उठ रहे सवाल

जब यह बात दिल्ली के आम लोगों में होने लगी कि जामिया में जो कुछ हो रहा है उसकी पटकथा बाहर लिखी गई है तो यह बात बिल्कुल आधारहीन भी नहीं है. यह बात कही जा रही है तो कई ऐसे बिखरे हुए तार साफ-साफ लोगों को नजर आ रहे हैं, जो अंतिम में जाकर जामिया में हुई हिंसा से जुड़ जाते हैं-

यदि जामिया का आंदोलन शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन था तो वहां तेरा मेरा रिश्ता क्या, या इलाहे लिल्लाह, का नारा किसके लिए लगाया जा रहा था?

वे कौन से छात्र थे जो खिलाफत 2.0 दीवारों पर लिखकर छात्रों के आंदोलन को विशुद्ध मुसलमानो का आंदोलन बना रहे थे.

यदि आंदोलन में बाहरी मुसलमान या इलाहे लिल्लाह सुनकर दाखिल हो भी गए तो इन घुसपैठियों से खुद को अलग करने के लिए छात्रों ने क्या प्रयास किए?

यदि खुद को अलग करना इन्हें सही नहीं लगा क्योंकि इनका ही यह आंदोलन था फिर आंदोलन में घुसपैठ कर रहे मुसलमानो की शिकायत उन्होंने दिल्ली पुलिस से क्यों नहीं की?

यदि हिंसा करने वाले छात्रों के बीच पनाह ले रहे थे फिर दिल्ली पुलिस कैसे पहचान करेगी कि कौन पत्थरबाज है और कौन छात्र?

आंदोलन में घुसपैठ कर रहे गुंडा एलीमेन्ट मुसलमानो से छात्रों ने दूरी क्यों नहीं बनाई?

सीएए के खिलाफ भारत को बचाने की रैली दिल्ली में जाकिर हुसैन के ठीक सामने रामलीला मैदान में कांग्रेस 14 दिसम्बर को करती है और 15 को जामिया जल उठा.

15 को ही यह बात सामने आ गई कि जामिया के दंगाइयों के साथ आम आदमी पार्टी नेता और विधायक अमानतुल्ला खान दिखे. अमानतुल्ला ने सफाई दी - "मैं शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में था. मैं सरिता विहार जाने वाली रोड की तरफ था. यहां कोई हिंसा नहीं हुई.'' लेकिन उनसे जुड़े दो वीडियो वायरल हैं, पहली जिसमें वे दूर से नजर आ रहे हैं. जिसकी जांच होनी चाहिए कि वे दंगाइयों के साथ थे या नहीं. दूसरी वीडियो में वे मुसलमानो को भड़का रहे हैं- वे बता रहे हैं कि 47 से पहले सभी संसाधनों पर मुसलमानो का कब्जा था. वह सारे चले गए. मुसलमानो के साथ 48,000 फसाद हुए. एक में भी कार्रवाई नहीं हुई. सिक्खों के साथ एक फसाद हुआ 84 में. एक फसाद के अंदर एक्शन हुआ. आज भी सज्जन कुमार जेल में है.''

दिल्ली में दो महीने में चुनाव होने हैं. इस चुनाव को लेकर मुसलमानो के वोट को लुभाने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों लगी हुई हैं. यही चुनाव है जिसके लिए जामिया को आग में झोंकने में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी संकोच नहीं कर रही है. यह समय है सौहार्द और शान्ति की बात करने का. इसकी जगह मुसलमानो को भड़का कर कांग्रेस और आप के नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं.

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रभारी जसीम हैदर ने एक टीवी चैनल पर बताया कि किस तरह ओखला और जामिया नगर के आम लोग छात्रों के आंदोलन में घुस गए. मतलब जामिया में जो हुआ वह अचानक नहीं था. उसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी.

नदवा कॉलेज, लखनऊ का सबसे बड़ा मदरसा है. जब देश की सेकुलर राजनीति सीएए के मुद्दे पर हिन्दू और मुसलमान के बीच खाई बढ़ाने की राजनीति में लगी है तो नदवा इससे कैसे बच सकता था. जामिया की अपील मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या, नदवा के छात्रों को भी अपील कर गई. वहां भी विरोध प्रदर्शन जारी है. राहत की बात यह रही कि मुस्लिम छात्रों के बीच एक बड़ा तबका इस प्रदर्शन के साथ नहीं है. उसने खुद को इस पूरे प्रदर्शन से बाहर कर लिया है.

(लेखक युवा पत्रकार एवं मीडिया स्कैन के संस्थापक हैं)